न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

W/R

अपील / डिक्री / टीए / 5167 / 2009 / जयपुर

1— राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दूदू मुकाम मौजमाबाद जिला जयपुर।
2— राजस्थान सरकार जरिये जिलाधीश जयपुर।

.....**अपीलार्थी**

बनाम

1— श्रवणलाल }
2— बंशीलाल } पुत्रान भूरा, जाति जाट, निवासी ग्राम नोदलो की ढाणी, तन सांभलपुरा, तहसील फूलेरा जिला जयपुर।

..... **प्रत्यर्थीगण**

खण्ड—पीठ
श्री बी.एल.गुप्ता, सदस्य
श्री मूलचन्द मीणा, सदस्य

उपस्थित :
श्री आर. के. गुप्ता, राजकीय अभिभाषक अपीलार्थी।
श्री मुकेश जैन अभिभाषक प्रत्यर्थी—2.

निर्णय

दिनांकः— 07 / 05 / 2012

1— यह द्वतीय अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर (प्रथम अपीलीय न्यायालय) द्वारा अपील संख्या 7 / 2000 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 27—05—2003 के विरूद्ध राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में 'अधिनियम, 1955') की धारा 224 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी है।

2— अपील ज्ञापन अनुसार प्रकरण के सुसंगत तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थी / वादीगण ने अपीलार्थी / प्रतिवादी राज्य सरकार के विरुद्ध एक दावा खातेदारी अधिकारों की घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा वास्ते न्यायालय सहायक कलेक्टर दूदू मुकाम मौजमाबाद (परीक्षण न्यायालय) में इस अभिवचन के साथ प्रस्तुत किया कि वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 320 / 1 रकबा 39 बीघा 4 बिस्वा ग्राम निमली तहसील दूदू में स्थित है, जिसके वादीगण खातेदार काश्तकार हैं तथा लगान / पेनेल्टी आदि समय समय पर राज्य सरकार को अदा करते आ रहे हैं और मौके पर काबिजकाश्त है।

प्रतिवादीगण राज्य सरकार का उक्त आराजीयात से कोई सबंध नहीं है। वादीगण संवत् 2011 से विवादित आराजी पर काश्त करते आ रहे हैं। इस वादग्रस्त भूमि के समीप वादीगण की अन्य भूमि भी है। राज्य सरकार के कानूनगो द्वारा उक्त विवादित भूमि के सम्बन्ध में गैर मुमकिन चटटानों का अंकन कर दिया गया जबकि उक्त भूमि वादीगण के नाम दर्ज की जानी चाहिये थी। वादीगण गांव के भोले–भाले एवं अनपढ व्यक्ति होने के कारण उक्त अंकल की जानकारी नहीं हो सकी। चूंकि वादीगण संवत् 2011 से पूर्व से ही लगातार विवादित भूमि पर काबिज काश्त हैं, अतः इतने लम्बे समय के कब्जे–काश्त के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 63(1)(4) के अंतर्गत खातेदारी अधिकार वादीगण को कानूनन प्राप्त हो चुके हैं। वादीगण ने उक्त आराजीयात की खातेदारी अपने पक्ष में दर्ज करने तथा सिवायचक गैर मुमकिन चट्टान के अंकनों को दुरूस्त करने हेतु प्रतिवादी संख्या–2 को निवेदन किया, किन्तु प्रतिवादी संख्या–2 द्वारा ऐसा नहीं किया गया, जिससे वाद प्रस्तुत करना पड़ा। वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि विवादित आराजी का वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर सिवायचक गैर मुमकिन चट्टान को दुरूस्त किया जावे और प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि विवादित भूमि में वादीगण के कब्जा–काश्त में दखल नहीं करें।

3– उपरोक्तानुसार वाद प्रस्तुत होने पर परीक्षण न्यायालय ने उभय पक्ष को सुनकर अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 29–11–99 द्वारा वादी का वाद खारिज कर दिया। परीक्षण न्यायालय के उक्त निर्णय दिनांक 29–11–1999 से असन्तुष्ट हो कर वादीगण/प्रत्यर्थीगण ने प्रथम अपीलीय न्यायालय में अपील प्रस्तुत की जिसको प्रथम अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर ने अपने निर्णय दिनांक 27–05–2003 द्वारा स्वीकार करते हुये सहायक कलेक्टर दूदू का निर्णय व डिक्री निरस्त कर दिया। वादीगण/ प्रत्यर्थीगण को वादग्रस्त भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित करते हुये प्रतिवादगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कर दिया। प्रथम न्यायालय के उक्त निर्णय दिनांक 27–05–2003 से व्यथित होकर यह द्वितीय अपील राजस्व मण्डल में अपीलार्थीगण/प्रतिवादीगण राज्य सरकार की तरफ से मुख्यतः इस आधार पर प्रस्तुत की है कि विवादित भूमि राजकीय सिवायचक चट्टान की भूमि होने के कारण कानूनन प्रत्यर्थीगण को उक्त भ्झूमि में खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते हैं। अधिनियम, 1955 के प्रावधान लागू होने के समय केवल उन्हीं व्यक्तियों को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो सकते थे जो उस समय वार्षिक रजिस्टर में उपकृषक दर्ज थे। वादीगण/ प्रत्यर्थीगण तत्समय वार्षिक रजिस्टर में उपकृषक दर्ज नहीं थे। परीक्षण न्यायालय द्वारा सम्पूर्ण विवेचन के वाद ही वादीगण का वाद खारिज किया गया था जिसे प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा विधि एवं अभिलेख के विपरीत डिक्री कर दिया गया है। अतः प्रथम अपीलीय न्यायालय का आलोच्य निर्णय निरस्तनीय है। हस्तगत द्वितीय

अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर के आलोच्य निर्णय को निरस्त कर परीक्षण न्यायालय के निर्णय व डिक्री को बहाल रखने का आदेश दिया जावे।

4— उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी।

5— विद्वान राजकीय अभिभाषक/अपीलार्थी ने अपील ज्ञापन में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये अभिकथन किया कि विवादित भूमि सिवायचक चट्टान राजस्व रिकोर्ड में दर्ज है और कानूनन ऐसी भूमियों पर किसी को खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते हैं। प्रत्यर्थीगण/ वादीगण द्वारा संवत् 2012 से पहले से विवादित आरजी पर काबिज काश्त होने के सम्बन्ध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं किया है। कब्जा—काश्त सिद्ध नहीं होने के कारण ही परीक्षण न्यायालय द्वारा प्रत्यर्थीगण/ वादीगण का वाद निरस्त किया था, जिसे प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा स्वीकार करने में विधिक अनियमतिता कारित की है। परीक्षण न्यायालय में प्रतिवादीगण के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही होने के बावजूद वादीगण/ प्रत्यर्थीगण का दावा खारिज हुआ था। इससे भी साबित है कि वादीगण का दावा पूरी तरह से सारहीन है। विलम्बित अपील प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में विद्वान राजकीय अभिभाषक का तर्क है कि निर्णय दिनांक 27—05—2003 की जानकारी होते ही तत्काल अपील प्रस्तुत करने की कार्यवाही प्रारम्भ करदी गयी थी, किन्तु विभिन्न स्तरों पर अनुमति आदि सम्बन्धी राजकीय औपचारिकताओं को पूरा करने में विलम्ब हुआ है, जिसे अपील के गुणावगुण की दृष्टि से क्षमा किया जाना उचित है। विद्वान राजकीय अभिभाषक द्वारा 1998 RRD 319 & 2002 RRD 37 के न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत करते हुये तर्क किया है कि जब प्रकरण में सारभूत बिन्दु निहित हो तो मियाद जैसे तकनीकी बिन्दु पर प्रकरण खारिज नहीं किया जाना चाहिये। इन अभिकथनों के साथ विद्वान राजकीय अभिभाषक का अनुरोध है कि हस्तगत द्वितीय अपील को स्वीकार किया जाकर प्रथम अपीलीय न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त कर परीक्षण न्यायालय का निर्णय व डिक्री बहाल की जावे।

6— अपील का विरोध करते हुये विद्वान अभिभाषक प्रत्यर्थीगण का तर्क है कि वादग्रस्त भूमि पर वादीगण/ प्रत्यर्थीगण का सम्वत 2011 से पहले से ही बुजुर्गों के समय से कब्जा काश्त है किन्तु सेटलमेंट विभाग ने विवादित भूमि की खातेदारी प्रत्यर्थीगण के बुजर्गो के नाम दर्ज नहीं करके सिवायचक बिना लगानी दर्ज कर दिया, जबकि सम्वत 2011 के पहले से ही कब्जा—काश्त होने से वादीगण के पक्ष में वादग्रस्त भूमि के खातेदारी अधिकार उद्भूत हो गये थे। सम्वत 2011 से लगातार कब्जे—काश्त के आधार पर अधिनियम, 1955 की धारा 63(1)(4) के अंतर्गत भी वादीगण के पक्ष में खातेदारी अधिकार कानूनन प्राप्त हो चुके हैं। विद्वान अभिभाषक का तर्क है कि 1993 RRD 431 अनुसार जयपुर रियासत में खसरा गिरदावरी को

अधिकार अभिलेख की मान्यता थी और सम्वत 2011 की खसरा गिरदावरी में वादीगण की खुदकाश्त 63 बीघा भूमि पर दर्ज थी। मियाद के बिन्दु पर विद्वान अभिभाषक प्रत्यर्थीगण का तर्क है कि जब मियाद बाहर अपील प्रस्तुत की गयी हो तो सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 41 नियम 3ए अनुसार पहले मियाद के बिन्दु पर निर्णय करने के बाद ही प्रकरण के गुणावुगण पर विचार किया जाना चाहिये। प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा आलोच्य निर्णय दिनांक 27–05–2003 राज्य सरकार की उपस्थिति में पारित किया गया है जिसके विरुद्ध दिनांक 03–07–2009 को 6 साल से अधिक के विलम्ब से मियाद बाहर द्वितीय अपील प्रस्तुत की गयी है। धारा 5 मियाद अधिनियम का जो प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है उसमें कोई सन्तोषजनक कारण नहीं दर्शाया गया है। विद्वान अभिभाषक का तर्क है कि सन्तोषजनक कारण दर्शाने पर ही मियाद के बिन्दु पर उदार रुख अपनाया जाना चाहिये। मियाद के बिन्दु पर विद्वान अभिभाषक ने 1999 RBJ 292 (HC), AIR 1998 SC 2276, 2009 DNJ (1) Raj.215, 1999 RRD 152, 1997 RRD 350 & 2005 RBJ 735 के न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये हैं। अन्त में विद्वान अभिभाषक का तर्क है कि प्रथम अपीलय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में ऐसी कोई त्रुटि नहीं है जिससे उसमें हस्तक्षेप नहीं किया जा सके। अतः यह द्वितीय अपील सारहीन होने से खारिज की जावे।

7– उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालयों की पत्रावलियों पर उपलब्ध निर्णयों के साथ अभिलेख का आद्योपान्त अवलोकन एवं अध्ययन किया गया। दोनों पक्षों की तरफ से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया और उक्त न्यायिक दृष्टान्तों के आलोक में हस्तगत प्रकरण का परीक्षण किया गया।

8– हस्तगत द्वितीय अपील निश्चित रुप से परिसीमा के बाद प्रस्तुत की गयी है और इसके लिये अपीलार्थी/ राज्य सरकार द्वारा परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा 5 के अन्तर्गत प्रार्थनापत्र एवं तहसीलदार मौजमाबाद जिला जयपुर का शपथपत्र प्रस्तुत कर निवदेन किया है कि विलम्ब को क्षमा करके अपील को स्वीकार किया जावे। अतः गुणावगुण पर विचार करने से पूर्व हम परिसीमा के बिन्दु का विनिश्चयन करना उचित समझते हैं क्योंकि विद्वान अभिभाषक प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत 2008 RBJ 623 और 2002 (1) RRT 318 सहित न्यायिक दृष्टान्तों की एक लम्बी श्रृंखला है जिनमें उच्च स्तरीय न्यायालयों द्वारा समय समय पर यह अभिनिर्धारित किया गया है कि जब अपील में परिसीमा का बिन्दु निहित हो तो गुणावगुण पर विचार करने से पहले परिसीमा के बिन्दु को निर्णीत किया जाना चाहिये।

9– प्रत्यर्थी के विद्वान अभिभाषक का मुख्य तर्क यह है कि राज्य सरकार द्वारा हस्तगत द्वितीय अपील अत्यधिक विलम्ब से प्रस्तुत की गयी है और इस विलम्ब का कोई सन्तोषजनक कारण भी नहीं बताया गया है। अतः

हस्तगत अपील केवल मियाद के बिन्दु पर ही खारिज किये जाने योग्य है। विद्वान अभिभाषक द्वारा अपने इस तर्क के समर्थन में 1999 RBJ 292 (HC), AIR 1998 SC 2276, 2009 DNJ (1) (Raj.) 215, 1999 RRD 152, 1997 RRD 350 & 2005 RBJ 735 के न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये हैं जिनमें प्रकरण विशेष की परिस्थितियों के मध्यनजर प्रतिपादित सिद्धान्तों का यही सारांश है कि लगभग समान सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि मियाद के बिन्दु पर न्यायालयों को केवल तब ही उदार रूख अपनाना चाहिये, जबकि विलम्ब के लिये सन्तोषजनक कारण स्पष्ट कर दिये गये हो। दूसरी तरफ विद्वान राजकीय अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त 1998 RRD 319 & 2002 RRD 37 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तों का सारांश यह है कि परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थनापत्र को अस्वीकार करते हुये अपील को मियाद बाहर होने के कारण से खारिज करने से पूर्व आवश्यक है कि न्यायालय द्वारा प्रकरण के गुणावगुण को देख लिया जावे और जब तक कि अपील निराशाजनक तरीके से सारविहिन नहीं हो, न्यायालय का यह प्रयास होना चाहिये कि अपील का निर्णय गुणावगुण पर ही किया जावे। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह भी सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि राज्य सरकार की तरफ से प्रस्तुत की जाने वाली निगरानी, अपील अथवा रेफरेंस आदि के प्रकरण में विलम्ब को क्षमा करने के बिन्दु पर विचार करते समय प्रकरण के गुणावगुण पर विचार करना चाहिये और अगर प्रकरण गुणावगुण पर सारवान है तो विलम्ब को क्षमा कर देना चाहिये क्योंकि इस प्रकार के प्रकरणों में विलम्ब को क्षमा नहीं करने से चालाकी पूर्वक अपील आदि के प्रस्तुती करण को चालाकीपूर्वक विलम्बित कराने की गलत प्रवृति को बढावा मिल सकता है, जिसके परिणामतः अन्त में आम जनता को ही नुकसान उठाना पड़ सकता है।

इस प्रकार मियाद के बिन्दु पर प्रकरण के तथ्यों के अनुसार माननीय उच्च स्तरीय न्यायालयों द्वारा अलग अलग सिद्धान्त प्रतिपादित किये गये हैं। न्यायिक निर्णयों की एक उदार धारा यह भी रही है कि अगर प्रकरण में सारभूत विधिक/तथ्यात्मक बिन्दु निहित हो तो केवल मियाद जैसे बिन्दु को सारभूत न्याय के मार्ग में आडे नहीं आने देना चाहिये। वस्तुतः परिसीमा के बिन्दु का विनिश्चत करने व विलम्ब को क्षमा करने के लिये महत्पूवर्ण यह नहीं है कि विलम्ब अवधि कितनी लम्बी है अपितु सर्वाधिक महत्वपूर्ण यह है कि विलम्ब के लिये जो कारण बताये गये हैं वह सन्तोषजनक है अथवा नहीं। एक तरफ 2009 (1) DNJ (Raj.) 215 का भी प्रकरण है , जहां 30 दिन के विलम्ब को भी सन्तोषजनक कारण के अभाव में क्षम्य नहीं माना गया है, और दूसरी तरफ 2008 RRD 804 का भी उदाहरण जहां 32 साल के विलम्ब को भी समुचित कारणों से तथा प्रकरण में विधि एवं न्याय का सारभूत बिन्दु निहित होने से क्षमा किया गया है। इस प्रकार हमारे समक्ष प्रस्तुत विभिन्न न्यायिक दृष्टान्तों सहित माननीय उच्च स्तरीय न्यायालयों द्वारा समय समय पर विलम्ब के बिन्दु पर किये गये विनिश्चयनों का सारांश यही है कि विलम्ब

की माफी देते समय अवधि की लम्बाई तात्विक नहीं होती अपितु विलम्ब माफी हेतु प्रस्तुत आधार अधिक महत्वपूर्ण हैं। अपील में जब विधि एवं न्याय का सारभूत बिन्दु अन्तर्निहित हो तो मियाद जैसे तकनीकी बिन्दु के आधार पर सारभूत न्याय का मार्ग बन्द नहीं कर दिया जाना चाहिये।

10— हस्तगत प्रकरण में 39 बीघा 4 बिस्वा राजकीय भूमि की खातेदारी घोषित किये जाने हेतु वादी/प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत वाद पर परीक्षण न्यायालय एवं प्रथम अपीलीय न्यायालय के परस्पर उलट (reversing) निर्णय है। अतः प्रकरण में निश्चित रुप से विधि एवं सारभूत न्याय का प्रश्न निहित है। इसके अलावा 39 बीघा 4 बिस्वा राजकीय सिवायचक भूमि वादग्रस्त होने से सार्वजनिक हित का प्रश्न भी निहित है। प्रकरण अपीलार्थी द्वारा विलम्ब को क्षमा करने हेतु धारा 5 भारतीय परिसीमा अधिनियम, 1963 का प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र के प्रस्तुत किया है और उक्त प्रार्थनापत्र में विलम्ब के जो कारण वर्णित किये गये हैं, उनको वर्तमान में राजस्व प्रशासन से सम्बन्धित अधिकारियों यथा जिला कलेक्टर, तहसीलदार आदि पर अन्य प्रशासनिक कार्यों के बढते भार को देखते हुये असन्तोषजनक नहीं कहा जा सकता है। अतः हमारा मत है कि धारा 5 परिसीमा अधिनियम के प्रार्थनापत्र को स्वीकार करते हुये हस्तगत अपील को प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को क्षमा किया जा कर अपील का निस्तारण गुणावगुण पर किया जाना उचित है। अतः अपीलार्थी का धारा 5 परिसीमा अधिनियम का प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है।

11— जहां तक प्रकरण के गुणावगुण का प्रश्न है, परीक्षण न्यायालय में वादीगण/प्रत्यर्थीगण द्वारा प्रस्तुत वाद का मुख्य आधार यह था कि वादीगण संवत् 2011 से पूर्व से ही लगातार विवादित भूमि पर काबिज काश्त हैं, अतः इतने लम्बे समय के कब्जे—काश्त के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 63(1)(4) के अंतर्गत खातेदारी अधिकार वादीगण को कानूनन प्राप्त हो चुके हैं। परीक्षण न्यायालय द्वारा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात के आधार पर विस्तृत विवेचना की गयी है। परीक्षण न्यायालय का निष्कर्ष है कि 63 बीघा 4 बिस्वा में से जितनी भूमि पर वादीगण का लगातार कब्जा काश्त था उक्त 24 भूमि पर वादीगण को खातेदारी मिल चुकी है जो वर्तमान में वादीगण की खातेदारी में दर्ज है। उक्त 24 बीघा भूमि के बाद शेष रही 39 बीघा 4 बिस्वा पर सम्वत 2011 से वादीगण अपना कब्जा—काश्त सिद्ध करने में असफल रहे हैं और इस कारण राज्य सरकार के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही के बावजूद परीक्षण न्यायालय द्वारा वादीगण का दावा खारिज किया गया है। परीक्षण न्यायालय का यह भी निष्कर्ष है कि किस्म गैरमुमकिन चट्टान पर वादीगण खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। इसके विपरीत प्रथम अपीलीय न्यायालय का निष्कर्ष है कि खसरा नम्बर 320/1 की कुल 63 बीघा 4 बिस्वा भूमि में से 12 बीघा की खातेदारी श्रवण के नाम और 12 बीघा की खातेदारी श्रीमती भूरी पत्नी बंशीलाल जाट के नाम

दर्ज होने के बाद जो शेष 39 बीघा 4 बिस्वा भूमि उक्त खसरा नम्बर 320/1 की बची है उस पर सम्वत 2011 से ही वादीगण का कब्जा काश्त है। अपीलीय न्यायालय का यह भी निष्कर्ष है कि खसरा गिरदावरी सम्वत 2011–14 और खसरा परिवर्तनशील सम्वत 2027–28, 2031, 2032, 2034, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051 से वादग्रस्त भूमि पर वादीगण का कब्जा अनवरत है। इस प्रकार सम्वत 2011 से ही वादग्रस्त भूमि पर वादीगण का लगातार कब्जा काश्त है। प्रथम अपीलीय न्यायालय का यह भी मानना है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने के पूर्व जयपुर स्टेट में राजस्व नियमों में खसरा गिरदावरी को वार्षिक अधिकार अभिलेख माना गया है। क्योंकि अपीलार्थीगण नकल खसरा गिरदावरी संवत् 2011–14 में विवादग्रस्त भूमि के सब टेनेन्ट दर्ज है। अपीलार्थी/वादीगण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 19(1) के अंतर्गत विवादग्रस्त भूमि के खातेदार काश्तकार हो गये है, अपीलार्थी का एडवर्स पजेशन प्रमाणित है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री उचित नहीं होने से निरस्तनीय है। इस निष्कर्ष के साथ प्रथम अपील को स्वीकार करते हुये वादी का दावा पूर्ण रूप से साबित मान लिया गया और परीक्षण न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 29–11–1999 को निरस्त करते हुये वादी/वर्तमान प्रत्यर्थी का दावा डिक्री कर दिया गया।

13– चूंकि परीक्षण न्यायालय एवं प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा राजस्व अभिलेख के आधार पर वादग्रस्त भूमि पर वादीपक्ष के कब्जे के बारे में भिन्न निष्कर्ष है, अतः हमारे द्वारा पत्रावली में उपलब्ध राजस्व अभिलेख का गहनता से परीक्षण किया गया। वादी/प्रत्यर्थी का वाद इस बिन्दु पर आधारित है कि वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 321/1 रकबा 39 बीघा 4 बिस्वा पर उनका सम्वत 2011 से ही लगातार कब्जा–काश्त है। उक्त खसरा नम्बर 320/1 मूलतः 63 बीघा 4 बिस्वा का था। ईएक्स–पी–3 बन्दोबस्ती जमाबन्दी सम्वत 2011 से 2029 तक 320/1 रकबा 63 बीघा 4 बिस्वा सहित अन्य भूमियां कॉलम संख्या 3 नाम भोक्ता ''पट्टी नारायणसिंह राजपूत'' तथा नाम कृषक कॉलम संख्या 5 में मकबूजा ठिकाना बिला लगानी'' किस्म गैरमुमकिन चट्टानी दर्ज है। ईएक्स–6 नकल खसरा गिरदावरी सम्वत 2011 खसरा 350/2 रकबा 19 बीघा 16 बिस्वा किस्म बारानी–iii व बंजड़–i कॉलम संख्या 5 नाम भूमि अधिकारी– जागीरदार आदि ''पट्टी नारायणयिंह'' तथा कॉलम संख्या 6 उपकृषक ''भूरा पिता नानगा'' दर्ज है किन्तु वादग्रस्त खसरा नम्बर 320/1 रकबा 63 बीघा 4 बिस्वा गैरमुमकिन चट्टानी कॉलम संख्या 5 'बशरह सदर' किन्तु कॉलम संख्या 6 ''––क्रॉस–––'' है। अर्थात किसी का कब्जा काश्त नहीं है। सम्वत 2012 में खुदकाश्त अंकित है अर्थात वादीगण अथवा पूर्वज का कब्जा काश्त नहीं है। सम्वत 2013 में भूरा पुत्र नानगा की काश्त है, किन्तु पुनः सम्वत 2014 में खुदकाश्त अंकित है। सम्वत 2015 में खसरा संख्या 320/1 रकबा 63 बीघा 4 बिस्वा पर कॉलम संख्या 5 में बशरह सदर व

कॉलम संख्या 6 में मकबूजा ठिकाना अंकित है। वादीपक्ष अथवा अन्य किसी की काश्त दर्ज नहीं है। सम्वत 2016, 2017, 2018 व 2019 में काश्त दर्ज है किन्तु वादीगण अथवा उनके पूर्वज की नहीं अपितु बदस्तूर है अर्थात सम्वत 2015 अनुसार ही मकबूजा ठिकाना है।

14— जिन खसरा परिर्वतन के आधार पर विद्वान अभिभाषक प्रत्यर्थीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि 39 बीघा 4 बिस्वा पर अपना लगातार कब्जा बताया जा रहा है, उन दस्तावेजात में काश्त की स्थिति परीक्षण न्यायालय के निष्कर्ष अनुसार ही है अर्थात सम्वत 2027 से 2052 तक खसरा नम्बर 320/1 की कुल भूमि में से अलग अलग फसलों में अधिकतम 39 बीघा 4 बिस्वा पर सम्वत 2048 की रवि फसल में पर व न्यूनतम 6 बीघा पर सम्वत 6 बीघा पर सम्वत 2028 की रवि फसल में कब्जा काश्त रहा है। अलग अलग फसलों/सम्वतों में यह कब्जा काना पुत्र रामदेव जाट, भूरा पुत्र नन्दा जाट, नन्दलाल पुत्र भीवा, बंशीलाल पुत्र भंवरलाल, श्रवण पुत्र भूरा जाट, श्रवण व बंशीलाल पुत्र भूरा जाट का रहा है। यह कब्जा भी सम्वत 2047 तक अधिकतम 20 बीघा पर सम्वत 2032 में था। केवल सम्वत 2048 व इसके बाद ही 39 बीघा 4 बिस्वा पर कब्जा रहा है। इस दस्तावेजी स्थिति से स्पष्ट है कि वादी/प्रत्यर्थी का यह अभिकथन राजस्व अभिलेख से समर्थित नहीं है कि वादग्रस्त भूमि पर सम्वत 2011 से ही उनका लगातार कब्जा काश्त है। इस प्रकार प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा सम्वत 2011 से लगातार 39 बीघा 4 बिस्वा भूमि पर वादी/प्रत्यर्थी का कब्जा—काश्त सिद्ध मानने सम्बन्धी प्रथम अपीलीय न्यायालय का निष्कर्ष भी दस्तावेजात में अंकित स्थिति से मेल नहीं खाता है। जहां तक वर्तमान राजस्व अभिलेख का प्रश्न है, ईएक्स—पी—4 नकल जमा बन्दी सम्वत 2052—55 अनुसार खसरा नम्बर 320/1/1/549 रकबा 12 बीघा श्रवण पुत्र भूरा जाट खातेदार और खसरा नम्बर 320/1/551 रकबा 12 बीघा श्रीमती भूलीदेवी धर्मपत्नी बंशीलाल जाट के नाम खातेदारी में दर्ज है। इससे परीक्षण न्यायालय के इस निष्कर्ष को ही बल मिलता है कि सम्वत 2032 तक खसरा नम्बर 320/1 का कुल रकबा 63 बीघा 4 बिस्वा था। इसके बाद इसमें से 12 बीघा भूमि श्रवण पिता भूरा के नाम खसरा नम्बर 320/1/1549 के रुप में खातेदारी में दर्ज हो गयी और 12 बीघा भूमि खसरा नम्बर 320/1/551 के रुप में श्रीमती भूरीदेवी पत्नी बंशीलाल जाट के नाम दर्ज हो गयी। शेष भूमि 39 बीघा 4 बिस्वा गैरमुमकिन चट्टान के रुप में दर्ज रही। इस प्रकार वादीगण/ पूर्वजगण का जितनी भूमि पर लगातार कब्जा काश्त था उतनी भूमि 24 बीघा की खातेदारी पूर्व में ही उनको या उनके परिवारजन को मिल चुकी है। उक्त 24 भूमि भूमि के बाद शेष रही 39 बीघा 4 बिस्वा पर सम्वत 2011 से वादीगण अपना कब्जा—काश्त सिद्ध करने में असफल रहे हैं।

15— वादी/प्रत्यर्थी द्वारा परीक्षण न्यायालय में प्रस्तुत वाद में एक आधार यह भी लिया गया था कि लम्बे समय के कब्जे—काश्त के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 63(1)(4) के अंतर्गत खातेदारी अधिकार वादीगण को कानूनन प्राप्त हो चुके हैं। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने भी अपने निर्णय में प्रतिकूल कब्जे का आधार बनाया है। प्रश्न यह है कि क्या उक्त धारा 63(1)(4) के अन्तर्गत खातेदारी मिल सकती है। अधिनियम, 1955 की धारा 63(1)(4) निम्न प्रकार हैः7

> **"63. Tenancy when extinguished.-** (1) The interest of tenant in his holding or a part thereof, as the case may be, shall be extinguished-
> ---
> (iv) When he has been deprived of possession and his right to recover possession is barred by limitation;"

इस प्रकार स्पष्ट है कि उक्त धारा 63(1)(iv) के अन्तर्गत किसी काश्तकार के हितों के विलोपन या शमन (extingushment) का प्रावधान करती है, जबकि उसे कब्जे से बेदखल कर दिया गया हो ओर वह कब्जा वापिस लेने का उसका हक अवधि पार होने से समाप्त हो गया हो। प्रथम तो प्रकरण किसी काश्तकार को उसकी भूमि से बेदखल करने का नहीं है और द्वितीय यह धारा काबिज व्यक्ति को खातेदारी देने का प्रावधान नहीं करती है, अतः हमारा मत है कि वादी/प्रत्यर्थी पक्ष को वादग्रस्त भूमि पर कब्जा होने मात्र से कोई अधिकार नहीं मिलते है।

16— प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा यह भी माना है कि अपीलार्थी/वादीगण नकल खसरा गिरदावरी संवत् 2011—14 में विवादग्रस्त भूमि के सब टेनेन्ट दर्ज है, जिससे अपीलार्थी/वादीगण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 19(1) के अंतर्गत विवादग्रस्त भूमि के खातेदार काश्तकार हो गये हैं। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 में धारा 19 अधिनियम संख्या 7 वर्ष 1959 द्वारा जोड़ी गयी थी जो 05—04—1959 से प्रभाव में आयी है। उक्त धारा 19(1) निम्न प्रकार हैः—

> ***19. Conferment of rights on certain tenants of Khudkasht and sub-tenants-***
> *(1) Every person who,* ***at the commencement of this Act-***
> *(a) was entered in the annual registers then current as a tenant of Khudkasht or sub-tenant of land other than grove land, or*
> *(b) was not so entered but was a tenant of Khudkasht or sub-tenant of land, other than grove land,*
> *Shall as from the date of commencement of the Rajasthan Tenancy (Amendment) Act, 1959, hereinafter in this Chapter referred to as the appointed date, become, subject to the other provisions contained in this Chapter, the Khudkasht tenant of*

such part of the land held by him as does not exceed the minimum area prescribed by the State Government for the purpose of clause (a) of sub-section (1) of section 180 or exceeds the maximum area from which such person is liable to ejectment under clause (d) of the said sub-section of the said section and rights in improvements in such part of the said land shall also accrue to such person:

***Provided that** khatedari rights or rights in improvements shall not so accrue-*

(i) if such part of the said land is held from any of the persons enumerated in Section 46, or

(ii) if such rights therein may not accrue under the proviso to sub-section (1) of section 15 or under section 15A or under section 15B or under section 16, or

(iii) if such person has, after the commencement of this Act, and before the appointed date, ceased to be such tenant of Khudkasht or sub-tenant by virtue of lawful surrender or abandonment in accordance with the provisions of this Act or because of his having been ejected in accordance with the provisions by and under the decree or order of a competent Court.

धारा 19(1) के उपरोक्त प्रावधान के अवलोकन मात्र से स्पष्ट है कि धारा 19(1) के अन्तर्गत खातेदारी तो 1959 के संशोधन अधिनियम की तारीख से ही मिलती है किन्तु इसका आधार यही है कि ***at the commencement of this Act*** अर्थात अधिनियम, 1955 लागू होने की दिनांक 15–10–1955 अथवा सम्वत 2012 के वार्षिक अधिकार अभिलेख में उसका नाम दर्ज होना चाहिये। पूर्व पेरा 13 व 14 में दस्तावेजात की विवेचना करते समय हम अपना मत व्यक्त कर चुके हैं कि सम्वत 2012 के राजस्व अभिलेख/ खसरा गिरदावरी में वादीगण अथवा उनके पूर्वज का नाम बतौर काश्तकार दर्ज नहीं है अपितु ईएक्स–6 नकल खसरा गिरदावरी सम्वत 2011 खसरा 350/2 रकबा 19 बीघा 16 बिस्वा किस्म बारानी–III व बंजड़–I कॉलम संख्या 5 नाम भूमि अधिकारी– जागीरदार आदि ''पट्टी नारायणयिंह'' तथा कॉलम संख्या 6 उपकृषक ''भूरा पिता नानगा'' दर्ज है **किन्तु वादग्रस्त खसरा नम्बर 320/1 रकबा 63 बीघा 4 बिस्वा गैरमुमकिन चट्टानी कॉलम संख्या 5 'बशरह सदर' किन्तु कॉलम संख्या 6 ''––कॉस–––'' है। अर्थात किसी का कब्जा काश्त नहीं है। सम्वत 2012 में खुदकाश्त अंकित है अर्थात वादीगण अथवा पूर्वज का कब्जा काश्त नहीं है।** इस प्रकार यदि यह माना जावे कि जयपुर स्टेट में खसरा गिरदावरी को अधिकार अभिलेख का दर्जा प्राप्त था तो भी सम्वत 2012 में वादग्रस्त भूमि पर वादीगण अथवा उनके पूर्वज का कब्जा–काश्त अंकित नहीं है। अतः हम प्रथम अपीलीय न्यायालय के

इस मत से सहमत नहीं हैं कि अपीलार्थी/वादीगण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 19(1) के अंतर्गत विवादग्रस्त भूमि के खातेदार काश्तकार हो गये हैं। अपितु हमारा मत है कि सम्वत 2012 के राजस्व अभिलेखों में नाम दर्ज नहीं होने से वादीगण धारा 19(1) के अंतर्गत खातेदारी प्राप्त करने के हकदार नहीं हैं।

17— उपरोक्त विवेचन के आधार पर हमारा यह सुविचारित मत है कि हस्तगत द्वितीय अपील स्वीका किये जाने एवं प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27—05—2003 अपास्त कर परीक्षण न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29—11—1999 बहाल किये जाने योग्य है।

18— परिणामतः हस्तगत द्वितीय अपील को एतदद्वारा स्वीकार किया जाता है और राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर द्वारा अपील संख्या 7/2000 में पारित आलोच्य निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27—05—2003 को अपास्त किया जाता है और सहायक कलेक्टर, दूदू द्वारा राजस्व वाद संख्या 477/94 में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29—11—1999 को बहाल रखा जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मूलचन्द मीणा)
सदस्य

(बी. एल गुप्ता)
सदस्य